

कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर

पत्रांक 1055 / 14-16 दिनांक जौनपुर सितम्बर, 26, 2016

सेवा में,

टेरिटरी मैनेजर, रिटेल

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,

ग्राम-सरेसर, आलमपुर पो-सकलडीहा रोड़

मुगलसराय-232101

विषय:- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, पेट्रोल द्वारा आराजी नं० 30 मि०, 42मि०, व 43 मि० खाता/खतौनी नं० 487ए ग्राम-धर्मापुर, थाना-गौराबादशाहपुर,, तहसील-शाहगंज, जनपद-जौनपुर में जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग के किमी० 58 से 57 के मध्य रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकासी मार्ग हेतु 0.07307 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ:- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या-पी-135/14-2-2016-800(126)/2016 दिनांक 22.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र द्वारा विशेष सचिव, उ०प्र०, शासन कतिपय शर्तों के साथ प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के प्रवेश व निकासी मार्ग हेतु संरक्षित वनभूमि के प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त शर्तों को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. **शर्त संख्या 1-** इस आशय की वचनबद्धता कि वनभूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं मंत्रालय के द्वारा जारी गार्डर्ड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत ले आउट प्लान के आधार पर होगा।
2. **शर्त संख्या 2-** सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो सम्बन्धित सहमति पत्र।
3. **शर्त संख्या 3-** फ्यूल स्टेशन में पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय, जो बाहरी दिवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा सम्बन्धित सहमति पत्र।
4. **शर्त संख्या 4-** सम्पर्क मार्ग से ग्रेटर आइस लैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो), के अतिरिक्त होगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
5. **शर्त संख्या 5-** प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे० से कम होगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
6. **शर्त संख्या 6-** इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) होगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
7. **शर्त संख्या 7-** मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूरक पौधारोपण, निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में जमा किया जाना है। अतः निम्न प्रकार बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से "प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या- एस०बी०-25230, कारपोरेशन बैंक, (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-1। भूतल, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड़, नई दिल्ली" के पक्ष में बनवाकर प्रस्तुत करें।

क्रम सं०	विवरण	मद	प्रस्तावित धनराशि (रु०में)
1	2	3	4
1	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.07307 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे० की दर से)	(N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य	45,742.00
2	शर्त संख्या-27 के अनुपालन में 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव	(C.A) क्षतिपूरक वृक्षारोपण	1,44,600.00
		योग-	1,90,342.00

8. शर्त संख्या 8- उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ "प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या- एस०बी०-25230, कारपोरेशन बैंक, (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक- I। भूतल, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स फेज- I, लोधी रोड, नई दिल्ली" के पक्ष में बनवाकर प्रस्तुत करें।
9. शर्त संख्या 9- वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा सम्बन्धित सहमति।
10. शर्त संख्या 11- प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के पलोरा (वनस्पति)/फाना (वन्यजीव) के संरक्षण सम्बन्धित सहमति पत्र।
11. शर्त संख्या 12- प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने सम्बन्धित सहमति पत्र।
12. शर्त संख्या 13- प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी, अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधिन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगा यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा सम्बन्धित सहमति पत्र।
13. शर्त संख्या 14- उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत् अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वनविभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भूगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी सम्बन्धित सहमति पत्र।
14. शर्त संख्या 15- भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी०(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या- I-11013/41/2006- Iए०-एच०(1), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
15. शर्त संख्या 16- उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
16. शर्त संख्या 18- इस आशय की वचनबद्धता कि यदि इस अवधि में एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
17. शर्त संख्या 19- इस आशय की वचनबद्धता कि यदि प्रश्नगत् परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत् भूमि सैन्यचुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

18. शर्त संख्या 22— इस आशय की वचनबद्धता कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
19. शर्त संख्या 23— इस आशय की वचनबद्धता कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
20. शर्त संख्या 24— इस आशय की वचनबद्धता कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11.07.2104 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
21. शर्त संख्या 25— पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफ0सी0, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिससे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
22. शर्त संख्या 26— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या— एफ0एन0 सं0— 11-268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत करें।
23. शर्त संख्या 27— 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव सम्बन्धित धनराशि प्रस्तुत करें।
24. शर्त संख्या 28— वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं हो रहा है से सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
25. शर्त संख्या 29— प्रयोक्ता एजेन्सी उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने सम्बन्धित सहमति।

भवदीय

(ए0पी0पाठक)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

संख्या / समदिनांक

प्रतिलिपि— उक्त के क्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

(ए0पी0पाठक)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।